अनुदान संख्या 16 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 16 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	686,13,00	609,78,38	-76,34,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			70,59,34
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	51,00,00	40,18,28	-10,81,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,70,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	32795.00	27713.51	27462.61	-250.90
पु.	R.	-5081.49			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	35818.00	33840.15	33515.77	-324.38
पु.	R.	-1977.85			

(I) ₹502.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹502.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कार्पोरेट कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹4432.39 लाख की बचत (₹29795.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत/नवीकरण कार्य, छुट्टी यात्रा रियायत दावों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, आईटी अवसंरचना की अधिप्राप्ति न होने, सीएसआर पुरस्कारों का आयोजन न होने, कोविड–19 महामारी के कारण कम अनुसंधान कार्य होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Corporate Affairs" – saving of ₹4432.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29795.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repair/renovation works, leave travel concession claims, non-procurement of IT infrastructure, non-holding of CSR awards, less research work owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3475" – "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईंः

(III) Under Major Head "3475" – "Regulation of Joint Stock Companies" - savings occurred under the following heads: -

(का) "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड" – ₹1300.00 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण प्रत्यक्ष बैठकें आयोजित न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)" - saving of ₹1300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-conduction of physical meetings owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) अकादमी" – ₹794.73 लाख की बचत (₹1104.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईसीएलएस प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता, कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Indian Corporate Law Service (ICLS) Academy" - saving of ₹794.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1104.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards training of ICLS trainees, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1063.93 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 16 प्रतिशत थी।

(IV) Under three heads savings of ₹1063.93 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 16 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ)" – के तहत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹778.84 लाख का अधिक व्यय (₹2923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आउटसोर्स से और अधिक सेवाएं प्राप्त किए जाने, एसएफआईओ, मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अग्रिम किराए का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3475" – "Other Expenditure - Serious Fraud Investigation Office (SFIO)" - excess of ₹778.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2923.00 lakhs) was due to hiring of more outsourced services and payment of advance rent towards regional office of SFIO, Mumbai.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	5100.00	4030.00	4018.28	-11.72
पु.	R.	-1070.00			

(I) "अन्य व्यय – कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर/आवास के लिए भूमि/भवन की खरीद/निर्माण" के अंतर्गत – ₹1000.02 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure - Purchase of land/building/construction of Office premises/residential accommodation for staff" - saving of ₹1000.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4. ***निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधिः–***

4. ***Investor's Education and Protection Fund:-***

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि अदावी लाभांशों, परिपक्व जमा राशियों, परिपक्व डिबेंचरों की वापसी, वापसी की जाने वाली आवेदन राशि और उस पर ब्याज, निवेशक शिक्षा, जानकारी और सुरक्षा के लिए, शेयरों या डिबेंचरों, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों या वे जमाकर्ता जिन्हें न्यायालय ने वमन के आदेश दिए थे, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति जिसे गलत कार्रवाई किए जाने के कारण हानि हुई है, को धन वापसी किए जाने के लिए खोला गया था।

The Investor's Education and Protection Fund was opened to refund in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debentures, the application money due for refund and interest thereon, for promotion of investor's education, awareness and protection, distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture-holders or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any persons, in accordance with the orders made by the Court which had ordered disgorgement.

वर्ष 2021–22 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	₹86,57,22
प्राप्तियां	Receipts	₹21,00,00
अदायगियां	Payments	₹21,00,00
अंत शेष	Closing Balance	₹86,57,22